

मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर - दिसम्बर, 1995 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 23 नवम्बर, 1995 (अग्रहायण 2, 1917)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथक्-पृथक् विवरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बी.आर.यादव, खनिज, साधन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कापोरेशन लिमिटेड भोपाल का छब्बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री बी.आर. यादव, वन मंत्री, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1994-95 पटल पर रखेंगे।

3. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

(1) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि :—
"सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है।"

(2) श्री शंकर प्रताप सिंह, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे और प्रस्ताव करेंगे कि :—

"सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चौदहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

4. अगस्त-सितम्बर, 1995 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना

5. नियम 267-क के अधीन अगस्त-सितम्बर, 1995 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा प्राप्त उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

6. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

7. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, शाजापुर जिले के उप संचालक, शिक्षा द्वारा अनावश्यक पुस्तकों का क्रय कर अनियमितता किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री थावरचंद गेहलोत, सदस्य, उज्जैन जिले की सेठ गोविन्दराम शुगर मिल के प्रबंधकों द्वारा श्रमिकों एवं कृषकों की लंबित राशि का भुगतान न किये जाने की ओर राज्यमंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग का ध्यान आकर्षित करेंगे।

8. सभापति तालिका की घोषणा

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री बच्चन नायक, सदस्य, जबलपुर जिले के -

- (क) ग्राम नैगवां में बिजली लगाये जाने; तथा
(ख) ग्राम कारीबराह में बिजली लगाये जाने;

(2) श्री रामलखन सिंह (त्योथर), सदस्य, रीवा जिले के -

- (क) ग्राम घटेहा नं. 1 में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने;
(ख) ग्राम पटेहरा से सितल्हा तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने; तथा
(ग) ग्राम बरहा के दमीली टोला में पशु औषधालय खोले जाने;

(3) श्री रामेश्वर अखण्ड, सदस्य, राजधानी भोपाल के कमला पार्क स्थित धोबीघाट से अतिक्रमण हटाये जाने,

के संबंध में याचिकाएँ प्रस्तुत करेंगे।

